प्रेस नोट
दिनांक 16.08.2024

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खोड़ारे पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0–172/24, धारा 303(2)/317 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अजय राजभर पुत्र स्व0 राम मिलन राजभर नि0 जमुनहा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा गिन्नी नगर चौराहा के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की हरक्यूलिस साईकिल बरामद कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः–

दिनांक 15.08.2024 को वादी दुर्गा प्रसाद पुत्र सतीश चन्द्र नि0 बक्सरिया ग्राण्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा द्वारा थाना खोड़ारे में लिखित तहरीर दी गयी कि प्रार्थी साईकिल से गरजू नगर चौराहे पर गया था सामान लेते समय किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी साईकिल चोरी कर ली गयी है। वादी की तहरीर पर थाना खोड़ारे में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त अजय राजभर को आज दिनांक 16.08.2024 को खोड़ारे पुलिस द्वारा गिन्नी नगर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की साईकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अजय राजभर पुत्र स्व0 राम मिलन राजभर नि0 जमुनहा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–172/24, धारा 303(2)/317 बीएनएस थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01 अदद हरक्यूलिस साईकिल।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 प्रदीप कूमार।
02. हे0का0 सुरेन्द्र नाथ।
03. का0 देवेन्द्र कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 16.08.2024, मानिटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से गैंगेस्टर को हुई 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/– अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 12.08.2020 को तत्कालिन प्र0नि0 को0 नगर आलोक राव द्वारा थाना को0 नगर में मु0अ0सं0–560/20, धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम बनाम–01. अरूण यादव उर्फ मुकरी आदि 02 के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना नि0 विजय नरायण प्रसाद द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी अभियुक्त अरूण यादव उर्फ मुकरी, अनूप यादव व अजय कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 14.06.2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियुक्त अरूण यादव उर्फ मुकरी का एक संगठित गिरोह बनाकर अपने आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु चोरी की घटनाओ को अंजाम दिया करते थे।

दोषसिद्धि का विवरण–

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे पंचम अपर सत्र के न्यायाधीश श्री राजबहादुर रामदेव यादव द्वारा थाना को0 नगर पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री उदय प्रताप वर्मा, कोर्ट मोहर्रिर का0 हरेश कुमार व थाना को0 नगर के पैरोकार के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक– 16.08.2024 को दोषी अभियुक्त अरूण यादव उर्फ मुकरी को जुर्म स्वीकार के क्रम में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/– अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. अरूण यादव उर्फ मकरी पुत्र खुर्रे नि0 रानीपुरवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–

01. मु0अ0सं0– 560/20, धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 16.08.2024

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड व मारपीट करने के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर बालअपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–239/24, धारा 74,115(2),351(2) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 शबीर व बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 15.08.2024 को थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना उमरीबेमगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि आदर्श हरिजन शिक्षा पंडित इन्टर कालेज वैश्य पुरवा बरौली में 15 अगस्त के दृष्टिगत चल रहे प्रोग्राम के दौरान उनकी नाबालिग लड़की के साथ विपक्षी मो0 शबीर उर्फ कुटी व उसके दोस्त द्वारा छेड़छाड करते हुए मारपीट की गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना उमरीबेगमगंज में सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ0नि0 संजीव चौहान द्वारा की गयी। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आज दिनांक 16.08.20224 को थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त मो0 शबीर को गिरफ्तार कर बालअपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त व बालअपचारी के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. मो0 शबीर उर्फ कुटी पुत्र कुर्बान अली नि0 बरौली फकीरन पुरवा थाना उमरीबेमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–239/24, धारा 74,115(2),351(2) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

प्र0नि0 नरेन्द्र प्रताप राय थाना उमरीबेगमगंज मय टीम।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 16.08.2024

थाना छपिया पुलिस द्वारा लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना छपिया पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–218/24, धारा 137(2),87 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त झिन्नू उर्फ प्रेम कुमार को दीन नगर रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 08.08.2024 को थाना छपिया क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना छपिया में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी नाबालिग लड़की को विपक्षी झिन्नू उर्फ प्रेम कुमार द्वारा बहला–फुसला कर भगा ले गया है। वादिनी की तहरीर पर थाना छपिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियोग में धारा 87 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी थी। आज दिनांक 16.08.2024 को थाना छपिया पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त झिन्नू उर्फ प्रेम कुमार को दीन नगर रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. झिन्नू उर्फ प्रेम कुमार पुत्र दयाशंकर जायसवाल नि0 नरैचा थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–218/24, धारा 137(2),87 बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 राजीव यादव।
02. हे0का0 सुरेन्द्र कुमार।
03. का0 दिनेश यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 16.08.2024

थाना छपिया पुलिस द्वारा लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना छपिया पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–206/24, धारा 87,69,115(2),352 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मनोज वर्मा दीन नगर रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 31.07.2024 को थाना छपिया क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना छपिया में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी लड़की को विपक्षी मनोज वर्मा द्वारा दिनांक 11.07.2024 को शादी का झांसा देकर बहला–फुसला कर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुराचार करके छोड़ दिया गया है। वादी की तहरीर पर थाना छपिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियोग में धारा 69,115(2),352 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी थी। आज दिनांक 16.08.2024 को थाना छपिया पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त मनोज वर्मा को दीन नगर रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. मनोज वर्मा पुत्र सत्य नारायण वर्मा नि0 तालागंज ग्रन्ट कोयरीपुरवा थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–206/24, धारा 87,69,115(2),352 बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 सतेन्द्र कुमार यादव।

02. हे0का0 दिलीप कुमार।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>